न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट बगडमेव)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/228 /15

निर्णय दिनांक : 21.06.2016

उनवान

1. अंगूरी पत्नी श्री रूपसिंह जाति मीणा हाल निवासी ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ।
3. नगर विकास न्यास जर्ये सचिव महोदय, अलवर।

.............प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 535 रकबा 1.00, 539 रकबा 1.62, 540 रकबा 1.62 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 4.22 हैक्ट0 वाके ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 में स्थित है जिसकी वादनी काबिज काश्तकार खातेदार है और इसी प्रकार वादनी अपने नाम की घोषणा कागजातमाल, जमाबन्दी आदि में कराने की अधिकारी है। और उपरोक्त विवादित आराजी के कब्जे कांश्त के खाने में प्रतिवादी सं0 3 के दर्ज नाम को कलमजन कराने की अधिकारी है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बगडमेव में दिनांक 21.06.2016 को पेश हुई। पैरोकार सरकार ने लोक अदालत में जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी मुतनाजा अरसे दराज 52 वर्ष पूर्व से ही राजकीय भूमि रही है। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी कोई काश्त नही की है। तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं0 3 की खातेदारी भूमि है। अतः वाद वादी काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बगडमेव में अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक आराजी मुतनाजा अरसे दराज 52 वर्ष पूर्व से ही राजकीय भूमि रही है। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी कोई काश्त नही की है। तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं0 3 की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादी का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर आराजी मुतनाजा अरसे दराज 52 वर्ष पूर्व से ही राजकीय भूमि रही है। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी कोई काश्त नही की है। तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं0 3 की खातेदारी भूमि है। वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना सम्भव नही होने के कारण वाद, वादी खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत बगडमेव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट बगडमेव)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/228 /15

निर्णय दिनांक : 21.06.2016

उनवान

1. अंगूरी पत्नी श्री रूपसिंह जाति मीणा हाल निवासी ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ।
3. नगर विकास न्यास जर्ये सचिव महोदय, अलवर।

............प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

वादी का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर आराजी मुतनाजा अरसे दराज 52 वर्ष पूर्व से ही राजकीय भूमि रही है। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी कोई काश्त नही की है। तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं0 3 की खातेदारी भूमि है। वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना सम्भव नही होने के कारण वाद, वादी खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.06..2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)